राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—एफ.2(क)(आर—616)(कार्मिक— I)/2024 /3687-92

श्री राजकुमार गहलोत,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड— I,
कार्यालय कोषाधिकारी,
उदयपुर (शहर)।

कारण बताओ नोटिस

विषयः— नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में।
प्रसंगः— इस विभाग के आदेश संख्या 89/2023—24 दिनांक 22.02.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर) से कार्यालय निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर में किया जाकर निर्देशित किया गया था कि आप तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स एवं विभागीय ई—मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस निदेशालय को भिजवावे। स्थानान्तरण होने के लगभग 3 माह पश्चात् भी आप द्वारा नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है, जो कि गंभीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में प्रस्तुत करे कि क्यों नहीं आपको राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

क्रमांकः—एफ.2(क)(आर—616)(कार्मिक— I)/2024 /3687-92
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)।
2. निदेशालय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

RajKaj Ref
7482788

Document certified by Rajendra Prasad Raigar <jdp1-ta-rj@nic.in>.
Digitally Signed by RAJENDRA PRASAD RAIGAR
Designation : Joint Director
Date :27-05-2024 01:17:20